भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 730

गुरुवार, दिनांक 07 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-कुसुम</u>

730. श्री धनुष एम. कुमारः

श्री जी. सेल्वमः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु राज्य में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) की स्थापना के बाद से इसके अंतर्गत स्थापित सौर जल पंपों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा देश की सौर जल पंप विनिर्माण क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार के पास पर्याप्त निगरानी तंत्र है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय कर रही है कि सौर जल पंप भू-जल के घटते स्तर वाले जिलों में भू-जल स्तर पर दुष्प्रभाव न डालें; और

(घ) सरकार द्वारा सौर विद्युत उत्पादन के विकेन्द्रीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) दिनांक 08.03.2019 को पीएम-कुसुम योजना के शुरू होने के बाद से, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम-कुसुम योजना के घटक-ख के तहत तमिलनाडु में 7200 पंपों को स्वीकृति प्रदान की है और अब तक राज्य में 3187 पंप स्थापित कर दिए गए हैं।

(ख) पीएम-कुसुम योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उद्देश्य देश की सौर जल पंप निर्माण क्षमता को बढ़ाना हैः (i) योजना के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से 49 लाख पंपों की स्थापना या सौरीकरण का लक्ष्य आने वाले वर्षों में मांग को दर्शाता है। (ii) योजना के घटक-ख और घटक-ग में कार्य करने के लिए आवश्यक स्वदेशी सामग्री होने की शर्त।

(ग) पीएम-कुसुम के दिशानिर्देशों में सौर पंपों से भू-जल के अत्यधिक उपयोग पर ध्यान देने के लिए प्रावधान है।

योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा अधिसूचित डार्क जोन/ब्लैक जोन/अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों में नए पंपों की स्थापना करने की अनुमति नहीं है। हालांकि, इन क्षेत्रों में मौजूदा स्टैंडअलोन डीजल पंपों को स्टैंडअलोन सौर पंपों में बदला जा सकता है बशर्ते वे पानी बचाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का प्रयोग करें।

(घ) वर्तमान में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विकेन्द्रित सौर विद्युत उत्पादन के लिए दो प्रमुख योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। इनमें शामिल हैं: (i) घटक-क के तहत 2 मेगावाट तक की क्षमता के प्रत्येक ग्रिड-कनेक्टिड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना और घटक-ख तथा घटक-ग के तहत 49 लाख कृषि पंपों के सौरीकरण के माध्यम से 10000 मेगावाट क्षमता हासिल करने हेतु लक्षित पीएम-कुसुम योजना; (ii) देश में 40 गीगावाट रूफटॉप सौर क्षमता हासिल करने हेतु लक्षित रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण-II

*****